

प्रेस नोट

दिनांक – 04.10.2021

जनपद सोनभद्र ।

थाना पिपरी की चौकी रेनुकूट पुलिस द्वारा 01 टाटा सफारी कार में अवैध अग्रेजी शराब के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार~

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में अवैध शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने व उसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पिपरी की चौकी रेनुकूट पुलिस को क्षेत्र भ्रमण के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि गैर प्रांत बिहार के कुछ व्यक्ति 01 वाहन टाटा सफारी से अवैध अग्रेजी शराब लादकर बिहार जाने के फिराक में है, इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा नाका बंदी कर मुर्धवा मोड़ रेनुकूट के पास से 01 टाटा सफारी कार से 03 नफर अभियुक्तों क्रमशः 1- पंकज कुमार पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी मनेर थाना मनेर जिला पटना बिहार 2- नीरज कुमार पुत्र किशोर कुमार निवासी माधोपुर थाना मनेर जिला पटना बिहार, 3- राहुल कुमार पुत्र स्व० रामचन्द्र दास निवासी माधोपुर थाना मनेर जिला पटना बिहार को नियमानुसार गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो पेटी में 24 बोतल MC Dowells 750ml, 05 पेटी व सफेद बोरे में कुल-387 पाउच Radico 8pm अवैध अग्रेजी शराब बरामद की गयी । उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना पिपरी पर मु०अ०सं०-124/2021 धारा-60/72 आबकारी अधिनियम व धारा 419,420,467,468,471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त को मा० न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त~

- 1- पंकज कुमार पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी मनेर थाना मनेर जिला पटना बिहार।
- 2- नीरज कुमार पुत्र किशोर कुमार निवासी माधोपुर थाना मनेर जिला पटना बिहार।
- 3- राहुल कुमार पुत्र स्व० रामचन्द्र दास निवासी माधोपुर थाना मनेर जिला पटना बिहार ।

बरामदगी~

- 1- 02 पेटी में 24 बोतल MC Dowells 750ml
- 2- 05 पेटी व सफेद बोरे में कुल 387 पाउच Radico 8pm 180ml अवैध अग्रेजी
- 3- 01 अदद टाटा सफारी कार
- 4- 02 अदद मोबाइल व 02 हजार रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम~

- 1- उ०नि० मनीष द्विवेदी चौकी प्रभारी रेनुकूट थाना पिपरी सोनभद्र ।
- 2- हे०का० रामनिवास यादव चौकी रेनुकूट थाना पिपरी सोनभद्र ।
- 3- हे०का० दिवाकर सिंह चौकी रेनुकूट थाना पिपरी सोनभद्र ।
- 4- हे०का० सुनील सरोज चौकी रेनुकूट थाना पिपरी सोनभद्र ।